रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2217] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2015/आश्विन 20, 1937
No. 2217] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2015/ASVINA 20, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2794(अ).—केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख से जिसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू हुए थे, अर्थात् 16 जनवरी, 2014 से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की विवरणियों के फाइल किए जाने को और आस्तियों की घोषणा किए जाने को विनियमित करने संबंधी सभी विद्यमान नियमों में उपांतरण और संशोधन करने के प्रयोजन के लिए, जिससे कि उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके, 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था ;

और उक्त आदेश का, अधिसूचना सं. का.आ.1840(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014, का.आ. 2256(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014, का.आ. 3272(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2014 और का.आ.1096(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधन करके उक्त अवधि को क्रमश: दो सौ सत्तर दिन, तीन सौ साठ दिन, अठारह मास और इक्कीस मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा दिया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों का, अन्य बातों के साथ-साथ, संशोधन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में 18 दिसंबर, 2014 को पुर:स्थापित किया गया था और उसे कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय से संबंधित विभाग की स्थायी समिति को समीक्षा के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था और उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षारत है;

और पूर्वतर आदेशों में प्रगणित परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, जिनके कारण उक्त अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की विवरणियां फाइल किए जाने और आस्तियों की घोषणा किए जाने की अवधि को छह और मास बढ़ाने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. (1) उक्त आदेश का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उक्त आदेश के पैरा 2 के उपपैरा (1) में "इक्कीस मास से अनधिक की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "सत्ताईस मास से अनधिक की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(बी)I]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 409(अ), तारीख 15 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसे अधिसूचना सं. का.आ. 1840(अ), तारीख 15 जुलाई, 2014, का.आ. 2256(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014, का.आ. 3272(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2014 तथा का.आ.1095(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 12th October, 2015

S.O. 2794(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), made the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 (hereinafter referred to as the said Order) with effect from the 15th February, 2014 for the purpose of carrying out modifications and amendments in the relevant rules regulating the filing of property returns and making of declaration of assets by public servants so as to bring them in conformity with the provisions of the said Act, within a period not exceeding one hundred and eighty days from 16th January, 2014, i.e., the date on which the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 came into force;

And whereas, the said Order was amended vide notifications number S.O. 1840(E), dated the 14th July, 2014; S.O. 2256(E), dated 8th September, 2014; S.O. 3272(E), dated 26th December, 2014 and S.O. 1096(E), dated the 27th April, 2015 extending the said period respectively to a period not exceeding two hundred and seventy days; three hundred and sixty days; eighteenth months; and twenty-one months;

And whereas, the Lokpal and Lokayuktas and other related Law (Amendment) Bill, 2014 to amend, *inter alia*, the provisions of section 44 of the said Act was introduced in the Lok Sabha on 18th December, 2014 and has been referred to the Department related Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice for examination and its Report is awaited;

And whereas, the circumstances enumerated in the earlier Orders which necessitated extension of the said period still continue;

And whereas, the Central Government has decided to extend the said period for filing of property returns and making of declaration of assets by public servants for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, namely:–

1. (1) This Order may be called the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Second Amendment Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words "within a period not exceeding twenty-one months", the words "within a period not exceeding twenty-seven months" shall be substituted.

[No. 407/12/2014-AVD-IV(B) I]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.—The Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 409(E), dated the 15thFebruary, 2014 and subsequently amended vide numbers S.O. 1840(E), dated the 15th July, 2014, S.O. 2256(E), dated the 8th September, 2014, S.O. 3272(E), dated the 26th December, 2014 and S.O. 1095(E), dated 27th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.